न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 18/2018

सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मांगरोल

♠ बनाम ♠

हरिवल्लभ पुत्र धन्नालाल वगैरह समस्त जातियान धाकड निवासीगण ग्राम बल्देवपुरा तह0 मांगरोल जिला बारां ....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

दायरा दिनांक: 05.09.2018

निर्णय दिनांक : 05.09.2018

पटवारी हल्का पाडलिया, भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) के जर्ये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत इस आशय का प्राप्त हुआ है कि ग्राम बल्देवपुरा की जमाबंदी सम्वत 2073–76 में खाता नं0 126 पर हरिबल्लभ औंकारलाल पि0 धन्नालाल कोम धाकड नंदलाल, गंगाराम, जगन्नाथ व कन्हैयालाल पि0 मन्नालाल, जुगलकिशोर पुत्र औंकार व जमनालाल पुत्र हरिबल्लभ कोम धाकड सा0 देह के नाम खसरा नं0 319 रकबा 0.21 है0 दर्ज है। सेटलमेंट पूर्व जमाबंदी सम्वत 2035–38 में उक्त खाता धन्नालाल, पन्नालाल, मन्नालाल पुत्र गोपीलाल कोम धाकड सा0 देह हिस्सा बराबर के नाम खसरा नं0 216 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा दर्ज था तथा सेटलमेंट जमाबंदी सम्वत 2014–23 में भी धन्नालाल, पन्नालाल, मन्नालाल पि0 गोपीलाल कोम धाकड सा0 देह के नाम खसरा नं0 216 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि दर्ज थी। बाद सेटलमेंट मुताबिक सेटलमेंट जमाबंदी सम्वत 2044–63 से खाता सं0 30 पर धन्नालाल, पन्नालाल, मन्नालाल पि0 गोपीलाल जुगलकिशोर पुत्र औंकार व जमनालाल पुत्र हरिबल्लभ धाकड के नाम खसरा नं0 319 रकबा 0.21 है0 दर्ज हुआ उक्त खाते में नामा0 संख्या 20 दिनांक 06.02.1996 से मृतक धन्नालाल के स्थान पर हरिबल्लभ औंकार लाल पि0 धन्नालाल व मृतक मन्नालाल के स्थान पर नन्दलाल, गंगाराम जमनालाल कन्हैयालाल पि0 मन्नालाल दर्ज हुआ। तथा नामां0 संख्या 36 दिनांक 22.06.1998 से मृतक पन्नालाल के स्थान पर नटी बाई पत्नि रामप्रताप पुष्पा बाई पत्नि बजरंगलाल का नाम दर्ज हुआ उसके बाद नामा0 संख्या 160 दिनांक 30.08.2006 से नटी बाई पत्नि रामप्रताप व पुष्पा बाई पत्नि बजरंगलाल के स्थान पर जुगलकिशोर पुत्र औंकार लाल, जमनालाल पुत्र हरिबल्लभ जाति धाकड का नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई।

अतः अब सेटलमेंट पूर्व जमाबंदी सम्वत 2035–38 सेटलमेंट जमाबंदी 2014–23 व नामा0 संख्या 20 व नामा संख्या 36 व नामा0 संख्या 160 को दृष्टिगत रखते हुए हाल जमाबंदी में खाता निम्न प्रकार दर्ज किया जाना उचित होगा।

हरिबल्लभ, औंकारलाल पि0 धन्नालाल हिस्सा 1/3 नन्दलाल गंगाराम जगन्नाथ व कन्हैयालाल पि0 मन्नालाल हिस्सा 1/3 जुगलकिशोर पुत्र औंकार व जमनालाल पुत्र हरिबल्लभ हिस्सा 1/3 बराबर जाति धाकड सा0 देह के नाम खसरा नं0 319 रकबा 0.21 दर्ज किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त प्रकार का प्रार्थना पत्र जर्ये लैण्ड होल्डर प्राप्त होने पर प्रकरण दिनांक 05.09.2018 को दर्ज रजिस्टर किया गया।

अतः प्रार्थना पत्र के समस्त सलंग्न दस्तावेजात 1. हाल नकल जमाबंदी 2073–76 खाता संख्या 126 2. नामान्तरकरण संख्या 36, 160 की प्रति 3. सेटलमेंट पूर्व जमाबंदी (2035–2038) 4. सेटलमेंट जमाबंदी 2014–23, सेटलमेंट जमाबंदी 2044–63 खाता नं0 30 की छायाप्रति की रोशनी में प्रकरण का भली प्रकार अध्ययन, अवलोकन एवं मनन के उपरान्त आदेश है कि पुरानी प्रविष्टि " ग्राम बल्देवपुरा की जमाबंदी सम्वत 2073–76 में खाता नं0 126 पर हरिबल्लभ औंकारलाल पि0 धन्नालाल कोम धाकड नंदलाल, गंगाराम, जगन्नाथ व कन्हैयालाल पि0 मन्नालाल, जुगलकिशोर पुत्र औंकार व जमनालाल पुत्र हरिबल्लभ कोम धाकड सा0 देह के नाम खसरा नं0 319 रकबा 0.21 है0" को हजफ कर नवीन इन्द्राज" हरिबल्लभ, औंकारलाल पि0 धन्नालाल हिस्सा 1/3 नन्दलाल गंगाराम जगन्नाथ व कन्हैयालाल पि0 मन्नालाल हिस्सा 1/3 जुगलकिशोर पुत्र औंकार व जमनालाल पुत्र हरिबल्लभ हिस्सा 1/3 बराबर जाति धाकड सा0 देह के नाम खसरा नं0 319 रकबा 0.21 है0 " दर्ज का राजस्व रेकार्ड में अंकन कर पालना से अन्दर 15 योम में अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर शुमार से कम होकर दाखिल दफ्तर होवे।

निर्णय आज दिनांक 05.09.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में